

Central Pollution control Board  
(Material Section)

C-43011/01/2018-19/mat


Dt 07-06-2018

Circular

In pursuance to the decision taken in the meeting of Standing Disposal Committee constituted by building division to dispose off obsolete (Scientific Instrument/ Equipment/General/electrical/misc/furniture/e-waste) through e-tender, all the Divisional Heads are, hereby, requested to furnish the required information of store of surplus/obsolete/unserviceable items in the enclosed Performa (Annexure-I) so that Material Section after verifying the stock register may forward the required details to Building Division for disposal through e- tender. The information may be forwarded to Material Section positively by 18-06-2018.

All the Divisional Heads are further informed to instruct the officials working under them, not to shift the condemned/unserviceable items in the basement, corridors/stairs directly from their side without intimating Material Section.

This is issued with the approval of Competent Authority

  
(Meena Sharma)  
Private Secretary(M)

Encl: as above

To,

All the Divisional Heads - with a request to circulate to the officials working under them for strict compliance

Copy to

1. PS to MS - for information
- ✓ 2. I/c IT to upload the same on CPCB's web site



**केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)  
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,  
दिल्ली - 110032

फा.सं.सी-43011/01/2018/सामग्री 560

दिनांक : 07.06.2018

**परिपत्र**

ई-निविदा के माध्यम से अप्रयुक्त सामग्री (वैज्ञानिक उपकरण/अप्रचलित/सामान्य/इलेक्ट्रॉनिकल/विविध/फर्नीचर/ई-अपशिष्ट) के निपटान के लिए भवन प्रभाग द्वारा गठित स्थाई निपटान समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सभी प्रभाग प्रभारियों से एतदद्वारा संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक - I) में अतिरिक्त/अप्रयुक्त/बेकार सामग्री की अपेक्षित जानकारी भरकर देने का अनुरोध किया जाता है, ताकि सामग्री प्रभाग द्वारा भंडारण रजिस्टर से पुष्टि करने के बाद ई-निविदा के माध्यम से निपटान हेतु आवश्यक विवरण भवन प्रभाग को अग्रेषित किया जा सके। सूचना सामग्री प्रभाग को दिनांक 18.08.2018 तक अवश्य भेजी जाए।

सभी प्रभाग प्रभारियों को पुनः सूचित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दें कि सामग्री प्रभाग को सूचित किए बिना कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अपने स्थान से कोई अप्रचलित/बेकार सामग्री सीधे बेसमेंट, कोरिडोरों/सीढियों पर विस्थापित न करें।

यह सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(मीना शर्मा)

निजी सचिव (सामग्री)

**संलग्न: यथोपरि**

**सेवा में,**

सभी प्रभाग प्रभारी — कृपया सख्ती से अनुपालन के लिए इस परिपत्र को अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालित करें।

**प्रतिलिपि:**

1. सदस्य सचिव के निजी सचिव — सूचनार्थ
2. प्रभारी, आई.टी. प्रभार — कृपया इसे केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें।

**Annexure-I**

**FORM FOR DECLARING A STORE AS SURPLUS/OBSOLETE/UNSERVICEABLE**

**Section -A (To be field by the Division/Section Head**

Name : \_\_\_\_\_ : Designation

Section:

<b>Sl.no.</b>	<b>Description of Stores</b>	<b>Quantity</b>	<b>Assets No./Identification No.if any</b>

- 1.0 Certified that the items referred above is in working order but is no longer used by in my division. The Item may be declared as surplus.
- 2.0 Certified that the item referred above has become outdated technically and is not use within the laboratory. The replacement parts are also not available for its repair, therefore the same may be declared as obsolete.
- 3.0 Certified that the item mentioned has lived a normal life of \_\_\_\_\_ years and become unserviceable due to normal wear & tear. The Item is beyond economic repair and thus may declared as unserviceable.

**Division/Section Incharge**

Indenter

भंडार को अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोगी घोषित करने हेतु फॉर्म  
वर्ग - ए (प्रभाग/अनुभागप्रभारी द्वारा भरा जाना है)

नाम :

पद:

अनुभाग:

क.सं.	सामानों का विवरण	मात्रा	पूंजीसंख्या/पहचान संख्या

- 1.0 यह प्रमाणित है कि उपरोक्त वर्णित मद कामकाजी क्रम में हैं लेकिन अब मेरे प्रभाग द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। यह मद अधिशेष समान के रूप में घोषित किया जा सकता है।
- 2.0 यह प्रमाणित है कि उपर उल्लिखित पद तकनीकी रूप से पुराना हो गया है और प्रयोगशाला के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है। इसके प्रतिस्थापन पार्ट्स भी इसकी मरम्मत के लिए उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इसे अप्रचलित घोषित किया जा सकता है।
- 3.0 यह प्रमाणित है कि उल्लिखित वस्तु की ..... वर्षों की प्रयोज्य अवधि समाप्त हो चुकी है और सामान्य टूट-फूट क्षति के कारण अनुपयोगी हो गयी है। यह मद किफायती आर्थिक मरम्मत से परे है और इस प्रकार इसे अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

मांगकर्ता

प्रभाग/अनुभाग प्रभारी